भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2829
दिनांक 18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पालतू जानवरों संबंधी व्यवसाय

2829. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पालतू जानवरों के बढ़ते व्यवसाय, जिसमें कम जवाबदेही के साथ वृद्धि हो रही है, को विनियमित करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा पालतू जानवरों के व्यवसाय के लिए विनियामक ढांचा तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिसमें पालतू जानवरों की दुकानों में रखे जाने वाले विभिन्न पालतू जानवरों के लिए स्थान की आवश्यकताओं को परिभाषित करना भी शामिल है, ताकि इन जानवरों को क्रूरता से बचाया जा सके?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) जी हां। केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है। ये नियम विशेष रूप से पालतू पशुओं के व्यवसाय और कुत्तों के प्रजनन और विपणन प्रतिष्ठानों को विनियमित करते हैं।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना पालतू पशुओं को बेचने या व्यापार करने के व्यवसाय में - चाहे खुदरा या थोक स्तर पर- संलग्न होने या जारी रखने की अनुमति नहीं है। यह पालतू पशुओं की दुकान या पालतू पशुओं की बिक्री, खरीद या विनिमय में सम्मिलित किसी अन्य इकाई की स्थापना या संचालन पर भी लागू होता है। ये नियम पालतू पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए रहने की जगह, अवसंरचना और आवासन की आवश्यकताओं को आगे और रेखांकित करते हैं।

इसी तरह, श्वान प्रजनन और विपणन नियम, 2017 के तहत, किसी भी ब्रीडर को राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिष्ठान के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना प्रजनन कार्यकलापों में शामिल होने या जारी रखने, या प्रजनन और बिक्री के लिए कुत्तों को पालने या घर में रखने की अनुमति नहीं है। ये नियम विभिन्न आवश्यकताओं और मानकों को निर्दिष्ट करते हैं जिनका पालन ब्रीडर और प्रतिष्ठानों को करना चाहिए, जैसा कि दूसरी अनुसूची में विस्तृत रूप से उल्लिखित है। अनिवार्य प्रावधानों में, स्वच्छता सुविधाओं सहित पर्याप्त आवास सुनिश्चित करना, पशु कल्याण की रक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटक है।

******